

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं।

पत्र सं- /जि.वि.से.प्र.बदायूं/ 2025

दिनांक-

आवेदन आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति

माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक 2389/SLSA-83/2025 (Sandeep/Ri) दिनांकित 30.07.2025 के अनुपालन में माननीय नालसा एवं MCPC के निर्देशानुसार **स्पेशल मीडिएशन ड्रावइ - राष्ट्र के लिए मध्यस्थता** अभियान के अन्तर्गत कैटेगरी "सी" के जिला में **लगभग 20 मध्यस्थगण** नियुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला बदायूं में वर्तमान में 14 मध्यस्थ अधिवक्ता कार्यरत हैं। पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता कार्य सुचारु रूप से कराने हेतु **6 अतिरिक्त मध्यस्थगण** की नियुक्ति की जानी है।

उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार ए.डी.आर. केन्द्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के द्वारा संचालित मध्यस्थता केन्द्र, में न्यायालयों द्वारा सन्दर्भित मामलों में पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता कराने हेतु **6 अतिरिक्त मध्यस्थगण** की नियुक्ति की जानी है।

मध्यस्थ पद हेतु कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों/अधिवक्ताओं से **दिनांक 04.08.2025 को सायं 04.00 बजे** तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों को मध्यस्थों के पैनल में सूचीबद्ध किए जाने के लिए अर्ह एवं पात्र समझा जाएगा,

अर्हताएं:-

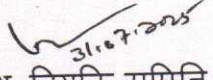
- क- ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो,
 - ख- सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 - ग- ऐसे वृत्तिक/विषेषज्ञ, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों।
- आवेदकों को एक उपक्रम प्रस्तुत करना होगा कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

पैनल में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की अनर्हताएं:-

1. ऐसा कोई व्यक्ति, जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो या विकृत-चित्त धोषित किया गया हो।
2. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया हो,
3. ऐसा कोई व्यक्ति, जो नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिये किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो,
4. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अनुषासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुषासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हों या फलस्वरूप दण्डित किया गया हो, और
5. ऐसे अन्य श्रेणी के व्यक्ति, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया जाये।

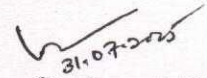
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:-

1. चयनित अधिवक्ता मध्यस्थगण को कृत के सापेक्ष नियमानुसार मानदेय का भुगतान बजट की उपलब्धता होने पर किया जायेगा।
2. प्रार्थी द्वारा आवेदन संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किया जाएगा।
3. आवेदन केवल पत्र पर एक रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चस्पा करके समस्त अपेक्षित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करके जमा किया जायेगा।
4. आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही प्राप्त किए जायेंगे।
5. कार्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करने की विज्ञापन से 10 दिवस की होगी।
6. अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।
7. नियुक्त 6 अतिरिक्त मध्यस्थगण की नियुक्ति वर्तमान पैनल की अवधि तक के लिए होगी।

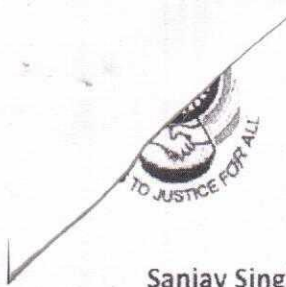

अध्यक्ष, नियुक्ति समिति,
मध्यस्थता केन्द्र,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को अपने कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित-

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, बदायूं
- 2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूं।
- 3- मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, बदायूं।
- 4- अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला पंचायत, बदायूं।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, बदायूं।
- 6- केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, बदायूं।
- 7- केन्द्रीय नाजिर, कलैक्ट्रेट, बदायूं।
- 8- अध्यक्ष/सचिव, जिला सिविल बार एसोसिएशन, बदायूं।
- 9- अध्यक्ष/सचिव, जिला बार एसोसिएशन, बदायूं।
- 10- सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, बदायूं को जनपद न्यायालय, बदायूं की वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
- 11- जिला सूचना अधिकारी को निःशुल्क समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने हेतु प्रेषित।


31.08.2025

अध्यक्ष, नियुक्ति समिति,
मध्यस्थता केन्द्र,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं।



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

Sanjay Singh-I, H.J.S
Member Secretary

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

U.P. State Legal Services Authority

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

To

All the District Judges/Chairpersons,
District Legal Services Authorities,
Uttar Pradesh.

No.: 2339/SLSA-83/2025(Sandeep/Ri)

Dated: July 30, 2025

Sub.: Regarding successful organization of Special Mediation Drive - Mediation "For the Nation".

Madam /Sir,

As you are aware that the NALSA in association with the MCPC has conceptualized the Special Mediation Drive - **Mediation "For The Nation"** under the guidance of Hon'ble the Chief Justice of India and Hon'ble Mr. Justice Surya Kant, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, NALSA and Chairman, MCPC. This drive is being conducted to settle pending cases in all the Taluka Courts, District Courts and High Courts of India through Mediation.

It has come to the notice that due to the lack of mediators, the number of cases, which are being referred for the settlement are very low, regarding which, Hon'ble the Executive Chairman, UPSLSA has felt need to appoint sufficient number of mediators as per following:-

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| • In category "A" Districts | - | Approx. 40 Mediators |
| • In category "B" Districts | - | Approx. 30 Mediators |
| • In category "C" Districts | - | Approx. 20 Mediators |

You are, therefore, requested to kindly direct the concerned to appoint sufficient number of Mediators (within a period of one week as per the category of your district), if your district does not have sufficient number of mediators and submit the list to this Authority at the earliest, so that the necessary action may be taken by this Authority for their 40 hours mediation training through MCPC, New Delhi.

Kindly treat it as most urgent.

With Regards.

Yours faithfully,

(Sanjay Singh-I)
Member Secretary

4/7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ, 4/7, Gomti Nagar Extension, Lucknow
Phone : 0522-2286395, Fax 0522 2286265 Toll Free No. : 1800 419 0234
E-Mail : upslsa@nic.in Website : upslsa.up.nic.in